निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 849) पटना, सोमवार, 4 अक्तूबर 2021

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

4 अक्तूबर 2021

सं0 पर्या०/वन(मु०)–22/2016–779 (ई0)/प०व०ज०प०–– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 64 की उप-धारा (1) और विशेष रूप से उप-धारा (2) के खंड (पी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। - (1) इन नियमों को बिहार (पूजा के उपरान्त मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।

(3) ये नियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ। - इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, -

(क) ''अधिनियम" का अर्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) से है;

(ख) ''कृत्रिम तालाब" का अर्थ है मूर्ति विसर्जन के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित/सृजित कोई अस्थायी तालाब;

(ग) ''जैव-विघटनीय" का अर्थ किसी भी जैविक पदार्थ से है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में अवक्रमित किया जा सकता है;

(घ) ''पर्षद" का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद;

(ङ) ''जिला प्राधिकार" का अर्थ जिला दण्डाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से है और इसमें जिला दण्डाधिकारी और/या पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित में स्थायी या अस्थायी रूप से इन नियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए या प्रावधानों की निगरानी के लिए विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी शामिल है।

(च) ''मूर्ति" का अर्थ है पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी, बांस आदि से बने भगवान की छवि या प्रतिकृति;

(छ) ''स्थानीय निकाय", का अर्थ, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या पंचायत है;

(ज) ''पुलिस प्रशासन" से तात्पर्य किसी जिले के पुलिस अधीक्षक से है और इसमें स्थानीय पुलिस थाना भी शामिल है;

(झ) ''पूजा समिति" का अभिप्राय पंजीकृत अथवा अंपजीकृत पूजा समिति/समितियाँ हैं/और इसमें वैसे व्यक्ति या संगठन शामिल होंगे जो त्योहारों का आयोजन करते हैं अथवा अपने आदेश द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों/कंपनी/सहयोग द्वारा पंडालों में मूर्तियां बनाते/स्थापित करवाते हैं।

(ञ) "धारा" का अर्थ अधिनियम की एक धारा है;

(ट) "प्रवाह" में शामिल हैं-

i. नदी और उसकी सहायक नदियाँ;

ii. जल मार्ग (चाहे बह रहा हो या कुछ समय के लिए सूखा हो),

iii. अंत:स्थलीय जल क्षेत्र,

iv. भूमिगत जल,

3. मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होंगे -तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के लागू होने की तिथि से किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

4. पूजा समिति के कार्य- प्रत्येक पूजा समिति सुनिश्चित करेगी-

(क) कि मूर्तियों को प्राकृतिक सामग्री यथा पारंपरिक मिट्टी, बांस, आदि से बनाया जाएगा;

(ख) कि मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ग) कि मूर्तियों की रंगाई के लिए जहरीले और गैर-जैव विघटनीय रासायनिक रंगों और कृत्रिम रंग का उपयोग नहीं किया जायेगा;

(घ) कि मूर्तियों को पानी में घुलनशील और गैर विषैले प्राकृतिक रंगों से रंगा जाएगा;

(ङ) कि मूर्ति के ऊपरी ढाँचा की ऊंचाई 40 फीट से कम होनी चाहिए। और मूर्ति भी 20 फीट से अधिक ऊँची नहीं होनी चाहिए;

(च) कि पूजा सामग्री जैसे फूल और कागज और प्लास्टिक से बनी अन्य सजावटी सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटाया जाना चाहिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार निपटान के लिए जैव-विघटनीय सामग्रियां अलग से एकत्र की जानी चाहिए;

(छ) मूर्ति को निर्धारित विसर्जन स्थल/कृत्रिम तालाब में विसर्जित करने के लिए नियम 7(ख) के तहत पूजा समिति के लिए चिन्हित किया जाना है।

(ज) सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था करना;

(झ) मूर्ति विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना;

5. पूजा समिति द्वारा अनिवार्य घोषणा - प्रत्येक पूजा समिति जो त्योहारों का आयोजन करती है और उसके द्वारा अथवा उसके निर्देश पर किसी अन्य के द्वारा बनाए गए पंडालों में मूर्तियों को बनाती है, को जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/पंचायत जैसा भी मामला हो, के समक्ष एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निर्दिष्ट होगा-

(क) कि मूर्तियों के निर्माण और ऊपरी संरचना को खड़ा करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) कि मूर्तियों के निर्माण और ऊपरी संरचना के निर्माण में पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, शीशा और क्रोमियम जैसी जहरीली भारी धातुओं वाले कृत्रिम रंग का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) कि मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट तक सीमित है;

(घ) कि ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक सीमित है;

(ङ) कि विसर्जन के समय मूर्ति विर्सजन की प्रक्रिया के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों, जिसमें मूर्ति विसर्जन से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश शामिल होंगे, का पालन किया जायेगा;

6. पूजा समिति का दायित्व- प्रत्येक पूजा समिति जो त्योहारों का आयोजन करती है और उसके द्वारा बनाए गए पंडालों में या उनके निर्देश पर किसी और व्यक्तियों के माध्यम से मूर्तियों को बनवाती है, इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए उतरदायी होगी और पर्षद इस तरह के उल्लंघन के लिए नियम-11 के अनुसार दंड लगा सकता है।

7. स्थानीय निकाय और जिला प्राधिकरण के कार्य-संबंधित स्थानीय निकाय या जिला प्राधिकरण के पास निम्नलिखित कार्य होंगे-

(क) मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों को इतनी संख्या में बनाना जो भीड़भाड़ से बचने और प्रदूषण के भार को कम करने के लिए पर्याप्त हो;

(ख) पूजा समिति के साथ कृत्रिम तालाबों/विसर्जन स्थल को टैग/चिन्हित करना;

(ग) कृत्रिम तालाबों/ विसर्जन स्थलों को अधिसूचित करना और मूर्ति विसर्जन की ऐसी घटनाओं से एक महीने पहले जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनता और प्रत्येक पूजा समिति को सूचित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कृत्रिम तालाबों / विसर्जन स्थलों में मूर्तियों का विसर्जन पुलिस प्राधिकार या जिला प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा;

(ङ) विसर्जन स्थल पर जनित ठोस कचरा यथा-फूल, कपड़ा, सजावट सामग्री आदि को जलाने पर रोक लगाना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि मूर्तियों के विसर्जन के 48 घंटे के भीतर, मूतिर्यो का अवशेष संचित मलबा, पुआल या जूट के तार आदि और मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित अन्य सभी अवशिष्ट पदार्थो को हटा दिया जायेगा और ठोस कचरे संग्रह स्थल पर पहुँचाया जायेगा, यदि इसे मूर्ति निर्माताओं या अन्य लोगों द्वारा पुनः उपयोग के लिए एकत्र नहीं किया जाता है;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि मूर्तियों के विसर्जन के 48 घंटे के भीतर मूर्ति विसर्जन स्थलों/कृत्रिम तालाबों में बची हुई सामग्री को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निपटान के लिए एकत्र कर लिया गया है;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि विसर्जन से पहले जैव विघटनीय सामग्री को हटा लिया गया है और संबंधित स्थानीय निकाय इन सामग्रियों का उपयोग खाद और अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए कर सके;

(झ) पूजा समिति का औचक निरीक्षण करना जो त्योहारों का आयोजन करती है और उनके द्वारा बनाये गये पंडालों में मूर्तियां बनाती है ताकि उनके द्वारा की गई घोषणा को सत्यापित किया जा सके;

(ञ) पूजा समिति/ संगठन द्वारा इन नियमों के किसी भी उल्लंघन की प्रतिवेदन पर्षद को देना;

(ट) उचित अधिकार क्षेत्र में स्थित नदी या अन्य जल निकाय के किनारे की सफाई के लिए पूजा समिति/समितियों पर शुल्क लगाना।

8. पुलिस प्राधिकार के कार्य-मूर्ति और अन्य अपशिष्ट पदार्थो के अवशेषों को हटाने, परिवहन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्राधिकार उनके संबंधित स्थानीय निकाय को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

9. पर्षद के कार्य - (1) पर्षद, अधिमानतः प्रथम श्रेणी के शहरों (एक लाख से अधिक आबादी वाले) में, तीन चरणों में अर्थात विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान और विसर्जन के बाद जल निकाय के जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा। जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पानी की गुणवत्ता का एक उचित प्रतिनिधि मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए नमूना स्थानों की उचित संख्या निर्धारित की जा सकती है। पानी की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए, पीएच, डीओ, बीओडी, सीओडी, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, टीडीएस, टोटल सॉलिड्स और मेटल्स (क्रोमियम, लेड, जिंक और कॉपर) जैसे भौतिक-रासायनिक मापदंडों का विश्लेषण किया जा सकता है और परिणाम पर्षद की बेवसाइट पर पोस्ट किए जा सकते हैं।

(2) पर्षद स्थानीय प्रशासन की मदद से न केवल मूर्तियों, बल्कि त्योहारी समय के दौरान उपयोग की जाने वाली अन्य सजावटी सामग्री के रंग सामग्री के जहरीले घटकों के दुष्प्रभावों पर अभियान चलाएगा।

10. विसर्जन स्थल पर देखी जाने वाली प्रक्रियाएं:-

मूर्तियों के सभी फूल, पत्ते और कृत्रिम आभूषण हटा दिए जाएंगे और मूर्तियों को तल में हटाने योग्य सिंथेटिक लाइनर का उपयोग करके तालाब के एक कोने में विसर्जित किया जा सकता है, और विसर्जन के बाद, मूर्तियों के अवशेषों

के साथ लाइनर को बाहर निकाला जा सकता है और तालाब के पानी में ठोस पदार्थों को जमा करने के लिए चूना डाला जाएगा और उचित समय पर, तालाब से मलबा हटाने का कार्य किया जाएगा।

11. पर्यावरणीय मुआवजे का आरोपण - (1) यदि कोई पूजा समिति त्योहारों का अयोजन करती है और उसके द्वारा बनाये गये अथवा उसके निर्देश पर बनाये गये पंडालों में मूर्तियों को बनाती है और नियम-4 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है या स्थानीय निकाय अथवा जिला प्राधिकार से सूचना प्राप्त होती है तो पर्षद पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि वसूल कर सकती है:-

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में रु. 5,000/-

(ख) नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित पूजा समिति के मामले में रु. 10,000/-

(2) पर्यावरणीय मुआवजे की मात्रा को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पर्षद की सिफारिश पर बढ़ाया / बदला जा सकता है।

12. इन नियमों के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में किसी भी प्रकार के मतभिन्नता की स्थिति में हिंदी पाठ प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 4th October 2021

No. Parya Van(Mu.)-22/2016-779(ई0)/E.F&CC.---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and in particular by clause (p) of sub-section (2) of section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Bihar hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Bihar (Procedure for Immersion of Idol after Pujas) Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions. –In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, -

a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

b) “Artificial Pond” means any temporary pond constructed/created by the District Administration for the purpose of idol immersion;

c) "Bio-degradable" means any organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;

d) "Board" means the Bihar State Pollution Control Board constituted under section 4 of the Act;

e) "District Authorities" means the District Magistrate or the Superintendent of Police and includes any officer specially assigned by the District Magistrate and/or the Superintendent of Police in writing, permanently or temporarily, for implementation of the provisions of these Rules or to oversee the provisions of these Rules;

f) "Idol" means an image or representation of a god made of clay, bamboo, etc., used for the worship;

g) "Local body", for the purpose of these rules, means and includes the Municipal Corporation or Municipality or Nagar Panchayat or Panchayat;

h) "Police administration" means the Superintendent of Police in a district and includes the local police station;

i) "Puja Committee" means Registered and unregistered Puja Committees/committees/Samiti and shall include individuals or organizations

who organizes the festivals and makes/places the idols in pandals raised by it or by any other person(s)/company/individual /cooperation on their instructions;

j) "Section" means a section of the Act;

k) "Stream" includes—

i. river and its tributaries;

ii. water course (whether flowing or for the time being dry),

iii. inland water body,

iv. sub-terranean waters,

3. **Idol to be immersed in artificial ponds**- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, from the date of coming into force of this Rule there shall be complete ban on immersion of idol in any stream.

4. **Functions of puja committee.—**Every puja committee shall ensure—

a) that the idols shall be made from natural materials i.e., traditional clay, bamboo, etc.;

b) that no use of Plaster of Paris (POP) in idol making;

c) that no use of toxic and non-biodegradable chemical dyes and synthetic colour for painting of the idols;

d) that the idols shall be painted by water soluble and non-toxic natural dyes;

e) that the height of the super structure of the idol shall be less than 40 ft. and the idol also shall not exceed 20 ft in height;

f) that worship materials like flowers and other decorating materials made of paper and plastic shall be removed before immersion of idols and bio-degradable materials shall have be collected separately for disposal as per Solid Waste Management Rules, 2016;

g) to immerse the idol at the designated immersion spot/artificial pond as may be marked for the puja committee under Rule 7 (b).

h) to arrange for safe and environment friendly idol immersion;

i) to strictly adhere to the guidelines framed by the Central Pollution Control Board, New Delhi, relating to idol immersion;

5. **Mandatory declaration to be made by puja committee. —** Every puja committee which organizes the festivals and makes the idols in pandals raised by it or upon its instruction by anyone else, shall have to submit a declaration before the District Magistrate and respective Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat or Panchayat, as the case may be, specifying—

a) that no Plaster of Paris (POP) has been used in the making of idols and raising of super-structure;

b) that no synthetic paint or colour containing toxic heavy metals like mercury, cadmium, arsenic, lead and chromium has been used in the making of idols and raising of super-structure;

c) that the height of idol is limited to 20 ft;

d) that the height of the super-structure is limited to 40 ft;

e) that at the time of immersion all directions issued by the district administration in relation to procedure for idol immersion will be adhered to including the guidelines issued by the Central Pollution Control Board, New Delhi, relating to idol immersion;

6. **Liability of puja committee —** Every puja committee who organizes the festivals and makes the idols in pandals raised by it or upon its instructions by anyone else, shall be liable for violation of any of the provisions of these rules and the Board may impose penalty for such violation in accordance with the provisions of rule 11.

7. Functions of local body and district authority. —The concerned local body or the district authority shall have the functions—

a) To make such number of artificial ponds for the purpose of immersion of idols as may be sufficient to avoid overcrowding and reduce pollution load;

b) To tag/mark artificial ponds/immersion spot with puja committee;

c) to notify artificial ponds/immersion spots and inform the public and every puja committee through awareness programme preferably a month before such events of idol immersion;

d) to ensure that immersion of idols in artificial ponds/immersion spots shall take place in accordance with the time schedule fixed by the police authority or by the district authority;

e) to prohibit burning of solid wastes, so generated comprising of used flowers, clothes, decorating materials, etc. at the immersion site;

f) to ensure that within 48 hours of the immersion of the idols, the remains of the idols, accumulated debris, straw or jute strings, etc. and all other waste materials related to the immersion of idols have been removed and are transported to the solid waste dumping sites of the concerned local body for ultimate disposal, unless the same is collected by idol makers or others, for recycling;

g) to ensure that within 48 hours of the immersion of idols, remaining left over materials at idol immersion spots/artificial ponds have been collected by the concerned local body for disposal;

h) to ensure the biodegradable materials be removed before immersion and the concerned local bodies may use these materials for composting and other useful purpose;

i) to carry surprise inspections of the puja committee who organises the festivals and makes the idols in pandals raised by it to verify the declaration made by it;

j) to report any violation of these rules by the puja committee/ organization to the Board;

k) to levy fees from the puja committee to clean the banks of river or other water body situated within the appropriate jurisdiction.

8. Functions of police authority. (I) The police authority shall render all necessary assistance to their concerned local body to ensure the removal, transportation and disposal of the remains of idol and other waste materials.

9. Functions of Board — (1) The Board shall conduct water quality assessment of the water body, preferably in Class-I cities (having population more than one lakh), at three stages i.e. pre-immersion, during immersion and post immersion. Considering the size of water body, appropriate number of sampling locations may be determined in order to get a fairly representative assessment of water quality. For ascertaining water quality, Physico-chemical parameters such as pH, DO, BOD, COD, Conductivity, Turbidity, TDS, Total Solids and Metals (Chromium, Lead, Zinc and Copper) may be analyzed and results posted on the SPCB's website.

(2). The Board shall campaign on the ill effects of the toxic components of colouring materials, not only of the idols, but also other decorating materials used during the festive season with help of the local administration.

10. Procedures to be observed at immersion point:-

All the flowers, leaves and artificial ornaments of idols shall be removed and idols may be immersed into a corner of pond using removable synthetic liners in the bottom and the post immersion, liners may be taken out along with remains of idols and lime shall be added to the pond water for settling the

solids and in due course, desludging of the pond shall be undertaken afterwards.

11. **Imposition of Environmental Compensation —** (I) The Board may, if any puja committee who organizes the festivals and makes the idols in *pandals* raised by it or upon its instructions by anyone else, violates of any of the provisions of rule 4, or upon receipt of information from local body or District authority about any violation of these Rule by any puja committee/organization, levy Environmental Compensation for an amount of—

a) in case the puja committee located in the area of Panchayat, Rs. 5,000/-

b) in case the puja committee located in the area of Municipal Corporation, Municipality or Nagar Panchayat, Rs. 10,000/-;

(2) The quantum of Environmental Compensation may be increased/altered by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bihar, on recommendation by the Board.

12. In case of any ambiguity in English and Hindi version of these rules, the Hindi version will prevail.

By the order of the Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 849-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in